

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), पंजाब, चंडीगढ़  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) PUNJAB & UT, CHANDIGARH

कार्यालय आदेश सं.- प्रशा-1/ए/2023-2024/305  
Office Order No. Admn.I/A/2023-24/305

दिनांक : 31.10.2023  
Date: - 31.10.2023

**OFFICE ORDER**

सक्षम अधिकारी ने निम्न कार्मिक सहायक पर्यवेक्षक को पर्यवेक्षक के पद पर 7 वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 8 में दिनांक 01.11.2023 से या उनके पर्यवेक्षक के पद पर कार्यभार सँभालने की तिथि से पदोन्नत किया है।

The competent authority is pleased to promote the following Assistant Supervisor to officiate as Supervisor in the level 8 of the pay matrix as per 7<sup>th</sup> Central Pay Commission w.e.f 01.11.2023 or from the date he actually takes over charge of the post of Supervisor, whichever is later.

Sr. No. क्र.संख्या	Name & Designation S/Sh./Smt नाम व पदनाम श्रीमती	PUCDE Code पीयूसीडीई कोड	Date of Birth जन्म तिथि
1.	तिलक राज-2, सहायक पर्यवेक्षक Tilak Raj-2, Asstt. Supervisor	PUCDE2180527	09.06.1964

2. इस पदोन्नति का आदेश किसी भी अन्य वरिष्ठ कार्मिक जो इससे पहले पदोन्नति का हकदार हो के अधिकार के बिना पक्षपात के दिया गया है। यदि कार्मिक उक्त आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत तौर पर पदोन्नत का लाभ नहीं लेता तो उसकी वरिष्ठता प्रभावित होगी जिसकी गणना उसके पर्यवेक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी।

2. This promotion has been ordered without prejudice to the right of any senior official who may be entitled to promotion before him. If the officials did not avail of the said promotion within 15 days from the date of issue of these orders on account of any personal consideration, he will lose his seniority which will in that case be reckoned from the date he takes over charge of the post of Supervisor.

3. पर्यवेक्षक ग्रेड में पदोन्नत कार्मिक को यह आदेश जारी होने की तिथि से 01 माह के भीतर भारत सरकार के ए.आर.22 (1) ए (1) व भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 28.11.2019 के पत्र संख्या- 4-21/2017/IC/E.IIIA के अंतर्गत वेतन निर्धारण के संबंध में दिए गए विकल्पों का चयन करना आवश्यक है।

3. The official is required to exercise an option regarding fixation of pay within one month from the date of taking over charge as Supervisor in terms of Govt. of India's decision below FR 22 (1) (a) (i).